"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2012—माघ 28, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जनशक्ति नियोजन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं महानिदेशक, प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री नारायण सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (1986) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. एवं पदेन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल केवल अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3. श्री नारायण सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सुब्रमणियम भा.व.से. (1984) सचिव, मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल केवल अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के प्रभार से मुक्त होंगे.

श्री सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री सुनिल कुमार, भा.प्र.से. (1979) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा महानिदेशक, प्रशासन अकादमी को केवल महानिदेशक, प्रशासन अकादमी के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, वन एवं जनशक्ति नियोजन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.—श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा.प्र.से. (सीजी: 2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, सुकमा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2012

भाग के आदेश दिनांक 03-01-2012 के अनुक्रम में श्री यूनुस अली (भा.व.से.), विशेष प्रभाव से नवीन पदस्थापना विभाग में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आज दिनांक 25-01-2012

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक 38/23/अव./2012/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 16-1-2012 से 20-1-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 21 एवं 22-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दवे, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक 42/22/अव./2012/1-8/स्था.—श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशु पालन, मछली पालन विभाग को दिनांक 2-1-2012 से 7-1-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 1 एवं 8-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती लकड़ा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशु पालन, मछली पालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लकड़ा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्रमांक 48/41/अव./2012/1-8/स्था.—श्री वीरेन्द्र गुप्ता, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, गृह विभाग को दिनांक 27-1-2012 से 8-2-2012 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 26-1-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, गृह विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2012

क्रमांक 50/33/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजूरकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 27-1-2012 से 10-2-2012 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 26-1-2012 एवं 11 तथा 12-2-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजूरकर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजूरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजूरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक 60/20/अव./2012/1-8/स्था.—श्री जय नारायण अवस्थी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 30-1-2012 से 10-2-2012 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-1-2012, 11 तथा 12-2-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अवस्थी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक 22/943/अव./2011/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 26-12-2011 से 31-12-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2011 एवं 1-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

क्रमांक 28/945/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग को दिनांक 2-1-2012 से 7-1-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 1-1-2012 एवं 8-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दुपारे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक 31/943/अव./2011/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 21-22/943/अव./2011/1-8/स्था, दिनांक 4-1-2012 द्वारा श्री पी.डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 26-12-2011 से 31-12-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. उक्त आदेश के पैरा-2 में अंकित अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे के स्थान पर "अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्रमांक 33/979/अव./2011/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 14-12-2011 से 24-12-2011 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री माथुर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्रमांक 36/926/अव./2011/1-8/स्था.—श्री गोपाल सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 9-1-2012 से 13-1-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8, 14 एवं 15-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4 प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, को दिनांक 01-02-2012 से 28-02-2012 तक (28 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन, आगामी आदेश तक मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री उम्मेन के उक्त अवकाश अवधि में श्री सुनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वन एवं जनशक्ति नियोजन विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 02-11-2011 द्वारा श्री पी. एल. विधानी को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के पद पर पदस्थ किया गया था. श्री विधानी को अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने पर अपने मूल पद से दिनांक 31-01-2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

2. अत: श्री पी. एल. विधानी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या. को सेवानिवृत्त होने के कारण अंतर्नियम की कंडिका 77(IV) के तहत उन्हें दिनांक 31-01-2012 को इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 02-11-2011 द्वारा श्री पी. एल. विधानी को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के पद पर पदस्थ किया गया था. श्री विधानी को अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने पर अपने मूल पद से दिनांक 31-01 2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

2. अत: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एल. विधानी को उनके मूल पद से सेवानिवृत्ति पश्चात् दिनांक 01-02-2012 से एक वर्ष के लिये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर तत्काल प्रभाव से पुनर्नियुक्त करता है.

3. श्री विधानी के वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्तों के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-09-2010 द्वारा श्री जी. एस. कलसी को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के पद पर पदस्थ किया गया था. श्री कलसी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने पर अपने मूल पद से दिनांक 29-02-2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

2. अतः श्री जी. एस. कलसी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. दिनांक 29-02-2012 को सेवानिवृत्त होने के कारण अंतर्नियम की कंडिका 77(IV) के तहत इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से दिनांक 29-02-2012 से पदमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-09-2010 द्वारा श्री जी. एस. कलसी को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के पद पर पदस्थ किया गया था. श्री कलसी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने पर अपने मूल पद से दिनांक 29-02-2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

2. अतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जी. एस. कलसी, को उनके मूल पद से सेवानिवृत्ति पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर पुनर्नियुक्त करता है.

3. श्री कलसी के वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्तों के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77(IV) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-01-2012 द्वारा श्री पी. एल. विधानी, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित को सेवानिवृत्त होने पर पदमुक्त किया गया है.

2. अतः एतद्द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या. रायपुर का तत्कालिक प्रभार आगामी आदेश तक डॉ. एस. पी. शर्मा, प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित को सौंपा जाता है.

3 श्री विधानी, इन्हें कार्यभार सौंप कर पदमुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 10-1/2012/16.—छ.ग. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 96 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए छ.ग. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 63 (बी) मे उल्लेखित अनुसूची 2-ए के क्रमांक 20 पर निम्नांकित अधिनियम राज्य शासन एतद्द्वारा अन्त:स्थापित करती है :—

20. छ ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 10-5/2011/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

क्रमांक (1)	कर्मकारों के नाम (2)
40.	कन्सारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 2-31/2002/12.—जिला जशपुर, टोपोशीट क्रमांक 64 एन एवं 73 बी के निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र, जिसे आरपी कार्य पश्चात् आवेदक कंपनी द्वारा त्याग (relinquish) किया गया है को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम-59(1) (ii) के तहत इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् से खुला घोषित किया जाता है.

अनुसूची

जिला (1)	रकबा (वर्ग कि.मी.) (2)	बिन्दु (3)	देशांश (4)	अक्षांश (5)
जशपुर	2343.04	A	84°01' 15"	22°35' 15"
		B	84°01' 15"	22°41' 20"
		C	83°55' 47.70"	22°41' 20"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		C_2	83⁰55' 59.40"	22⁰42' 14.01"
		C_3	83⁰55' 7.72"	22⁰43' 13.39"
		C_4	83⁰57' 26.34"	22⁰44' 59.76"
		C_5	83⁰57' 27.05"	22⁰45' 32.36"
		C_6	83⁰49' 20"	22⁰45' 27.41"
		D	83⁰49' 20"	22⁰50' 20"
		E	83⁰37' 45"	22⁰50' 20"
		E_1	83⁰37' 45"	22⁰53' 18.39"
		E_2	83⁰38' 36.96"	22⁰53' 01.96"
		E_3	83⁰40' 03.79"	22⁰53' 35.72"
		E_4	83⁰40' 04.78"	22⁰54' 54.05"
		E_5	83⁰38' 26.48"	22⁰56' 10.58"
		E_6	83⁰37' 45"	22⁰56' 10.97"
		F	83⁰37' 45"	23⁰00' 00"
		F_1	83⁰53' 10.69"	23⁰00' 00"
		F_2	83⁰53' 03.27"	22⁰58' 20.84"
		F_3	83⁰55' 11.73"	22⁰56' 11.42"
		F_4	83⁰55' 05.51"	22⁰55' 16.20"
		F_5	83⁰56' 25.03"	22⁰54.42' 84"
		F_6	83⁰57' 46.14"	22⁰55' 23.38"
		F_7	83⁰57' 50.04"	22⁰58' 02.91"
		F_8	83⁰58' 06.26"	22⁰58' 52.72"
		F_9	83⁰57' 51.06"	23⁰00' 00"
		G	84⁰08' 50"	23⁰00' 00"

A to G along with State boundary between Chhattisgarh and Jharkhand.

2. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिन पश्चात् खनिज रियायतों के लिए पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/28.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	झालरौंदा प.ह.नं. 03	0.618	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	झालरौंदा शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कॉसाबेल	कोरंगा प. ह. नं. 17	0.182	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	कोरंगा पाकरटोली चोंगरीबहार मार्ग पर ईब नदी सेतु के जामुण्डा से कोरंगा पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता/है.

जशपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कॉसाबेल	जामुण्डा प. ह. नं. 17	0.065	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	कोरंगा पाकरटोली चोंगरीबहार मार्ग पर ईब नदी सेतु के जामुण्डा से कोरंगा पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	कुदमुरा प. ह. नं. 37	7.916	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	बेलसूंगा जलाशय योजनांतर्गत कुदमुरा मुख्य नहर चैन क्रमांक-134 से 205 एवं कुदमुरा माइनर नहर 2 चैन क्रमांक 13 से 120 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 5 जनवरी 2012

रा. प्र. क्र. 01 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	मोहगांव प. ह. नं. 59	0.081	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	मोहगांव जलाशय के नहर नाली निर्माण में अर्जन. (पूरक)

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्रमांक/211/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे सलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	करतूटोला प.ह.नं. 31/46	5.40	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्रमांक/213/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	हुच्चेटोला प.ह.नं. 31/46	26.64	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतगत डुबान/नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्रमांक/215/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	डुमरटोला प.ह.नं. 30/46	1.01	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतगत डुबान/नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्रमांक/217/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	कुदारी प.ह.नं. 30/46	2.87	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्रमांक/219/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	भर्रीटोला प.ह.नं. 30/46	6.11	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्रमांक/221/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	मंगचुवा प.ह.नं. 30/46	26.10	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक/1117/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	धौराभांठा प. ह. नं. 06	1.756	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के केसला मेन माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक/1118/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बीजाभांठा प. ह. नं. 21	4.047	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बरसनटोला डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक/1119/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बरसनटोला प. ह. नं. 19	1.159	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बरसनटोला डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक/1120/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सुखरी प. ह. नं. 21	2.196	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के सुखरी माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक/1121/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कोनारी प. ह. नं. 20	6.282	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक/1122/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कोपेडीह प. ह. नं. 03	1.737	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के कोपेडीह माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक/1123/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मचानपार प. ह. नं. 06	2.437	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मचानपार माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1133/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	धौराभांठा प. ह. नं. 06	1.040	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के धौराभांठा माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1134/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	केसला प. ह. नं. 22	3.940	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के केसला माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1135/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	केसला प. ह. नं. 22	4.329	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के केसला माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1136/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	अमलीडीह प. ह. नं. 19	4.676	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बरसनटोला डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1137/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	तुमड़ीबोड़ प. ह. नं. 07	0.499	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के अंतर्गत नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1138/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गनेरी प. ह. नं. 12	1.589	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के गनेरी माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1139/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सुखरी प. ह. नं. 21	2.935	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के सुखरी सब माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1140/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मचानपार प. ह. नं. 06	1.353	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के कोपेडीह माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक/1141/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बीजाभांठा प. ह. नं. 21	0.255	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के अमलीडीह माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्रमांक/67/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 02 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प. ह. नं. 73/14	392	0.110	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर अन्तर्गत रेल्वे लाईन निर्माण कार्य हेतु.
			1369/2	0.030		
			1370	0.070		
			1371	0.440		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1373/1	0.049		
			1373/2	0.030		
			1374	0.016		
			1375	0.070		
			1376	0.016		
			1392	0.020		
			1393/1	0.150		
			1393/2	0.120		
			1394/1	0.119		
			1405/1	0.040		
			1406/1	0.305		
			1407/1	0.087		
			1410/1	1.104		
			1411	0.050		
			1412	0.020		
			1413/1	0.190		
			1413/2	0.120		
			1413/3	0.486		
			1413/5	0.274		
			1414	0.131		
			1477/9	0.280		
			1478/2	0.020		
			1478/3	0.065		
			1478/4	0.160		
			1478/5	0.069		
			1478/6	0.050		
			1479/1	0.057		
			1479/2	0.190		
			1480	0.150		
			1481	0.170		
			1482/4	0.050		
			1505/1-2-3	8.480		
			1530/1	0.012		
			1530/4	0.016		
			1531/1	0.227		
			1531/2	0.130		
			1532/1	0.030		
			1534/2	0.030		
			1553	0.014		
			1554	1.450		
			1556/1	0.070		
			1556/2	0.210		
			1557/1	0.252		
			1557/3	0.075		
			1559/1	0.081		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1559/3	0.066		
			1567/2	0.266		
		योग	51	16.717		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक/68/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 9/अ. 82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	2/1	0.10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में योजना क्षेत्र हेतु.
			6	0.38		
			9	0.10		
			13/1	0.19		
			15	1.61		
			26	0.15		
			27	0.26		
			28	0.16		
			29	0.13		
			30	0.01		
			31	0.25		
			32	0.06		
			34	0.04		
			41	0.51		
			46	0.23		
			94/1	0.07		
			97	0.46		
			98	0.22		
			100	0.19		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			06/2	0.15		
			160	0.15		
			163	0.19		
			167	0.27		
			168	0.19		
			183	0.18		
			188	0.08		
			190	0.88		
			191	0.37		
			193	0.14		
			194	0.24		
			200	0.20		
			202	0.10		
			203/1	0.15		
			203/2	0.06		
			204	0.29		
			205	0.24		
			211	0.44		
			215	0.04		
			216	0.24		
			217	0.23		
			220	0.48		
			224	0.29		
			225	0.29		
			227/2	0.16		
			228	0.17		
			229	0.14		
			230	0.42		
			231	0.14		
			233	0.38		
			234	0.18		
			235	0.15		
			236	0.09		
			237/	0.15		
			238	0.34		
			244	0.12		
			247	0.08		
			251	0.19		
			262	0.10		
			264	0.03		
			267	0.03		
			268	0.33		
			269	0.34		
			273	0.10		
			274	0.11		
			275	0.45		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			277	0.12		
			278	0.02		
			279/1	0.34		
			282/1	0.29		
			295	0.20		
			296	0.03		
			298/1	0.11		
			301	0.05		
			302/1	0.02		
			303	0.10		
			304/1	0.42		
			314	0.52		
			317	0.11		
			318	0.70		
			319	1.22		
			332	0.04		
			334/2	0.10		
			341/2	0.09		
			342	0.12		
			343	0.09		
			344	0.30		
			349	0.37		
			350	0.34		
			379	0.01		
			384	0.18		
			386/1	1.04		
			386/2	0.14		
			395	0.03		
			396	0.15		
			397	0.26		
			398	0.14		
			423	0.03		
			430	0.07		
			431	0.08		
			433	0.10		
			535	0.02		
			436	0.19		
			437	0.10		
			438/1	0.12		
			439	0.10		
			440/1	0.06		
			441	0.14		
			442	0.04		
			443	0.08		
			444	0.02		
			446	0.22		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			447	0.17		
			448	0.27		
			449	0.65		
			450	0.40		
			455	1.00		
			612	0.32		
			619	0.94		
			638	0.20		
			642	0.31		
			643	0.11		
			644	0.07		
			661	0.03		
			688	0.26		
			689	0.18		
			692	0.16		
			695	0.34		
			730	0.79		
			743/1	0.09		
			776/1	0.06		
			778	0.24		
			799	0.09		
			801	0.13		
			815	0.69		
			817	0.10		
			821	0.29		
			822	0.33		
			823	0.24		
			825/1	0.22		
			825/2	0.14		
			826/1	0.14		
			829	0.08		
			833	0.31		
			834	0.24		
			835	0.43		
			839	0.24		
			843	0.22		
			844	0.04		
			845	0.07		
			846	0.24		
			847	0.12		
			848	0.16		
			850	0.05		
			851	0.10		
			863	1.47		
			866	0.22		
			867	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			868	0.35		
			869	0.20		
			870	0.17		
			871	0.25		
			872	0.02		
			873	0.16		
			874	0.02		
			876	0.93		
			877	0.22		
			878	0.20		
			879	0.18		
			880	0.21		
			881	0.34		
			886	0.08		
			899	0.58		
			940/1	0.06		
			944	0.47		
			986	0,07		
			992	0.10		
			999	0.09		
			1006	0.14		
			1021	0.38		
			1029	0.30		
			1030	0.06		
			1031	0.06		
			1034	0.05		
			1041	0.84		
			1055	0.30		
			1060	0.13		
			1062	0.07		
			1066	0.12		
			1073	0.90		
			1074/1	0.55		
			1074/2	0.12		
			1095	0.20		
			1096	0.20		
			1102	0.42		
			1105	0.09		
			1108	0.13		
			1113	0.10		
			1115	0.11		
			1116	0.22		
			1120	0.21		
			1121	0.20		
			1122	0.26		
			1123	0.14		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1133	0.22		
			1134	0.09		
			1136	0.18		
			1151/2	0.12		
			1158	0.05		
			1162	1.00		
			1177/1	0.12		
			1179	0.04		
			1180	0.06		
			1182	0.06		
			1183	0.19		
			1184	0.08		
			1186/1	0.27		
			1186/2	0.10		
			1188	0.32		
			1190	0.27		
			1191	0.08		
			1192	0.07		
			1213	0.20		
			1217/1	0.41		
			1218	0.06		
			1219	0.08		
			1220	0.06		
			1221/1	0.10		
			1222	0.30		
			1223	0.30		
			1224	0.38		
			1246	0.05		
			1248	0.09		
			1255	0.28		
			1256	0.42		
			1257/2	0.42		
			1258/2	0.47		
			1263	0.90		
			1264	0.08		
			1265	0.08		
			1268	0.13		
			1269/1	0.07		
			1269/2	0.13		
			1270	0.08		
			1318	0.11		
			1331	0.19		
			1332	0.07		
			1333	0.08		
			1335	0.19		
			1339/1	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1339/2	0.17		
			1340	0.22		
			1342	0.47		
			1343	0.06		
			1344/1	0.03		
			1344/2	0.06		
			1345	0.07		
			1346	0.13		
			1347	0.28		
			1349	0.57		
			1350	0.08		
			1351	0.13		
			1352/1	0.30		
			1353/1	0.10		
			1353/2	0.10		
			1354	0.78		
			1370	0.86		
			1376	0.06		
			1377	0.88		
			1378	0.09		
			1380	0.07		
			1392	0.06		
			1395	0.59		
			1397	0.15		
			1399	0.23		
			1401	0.11		
			1403	0.08		
			1404	0.08		
			1405	0.21		
			1408	0.14		
			1412	0.10		
			1421	0.32		
			1423	0.17		
			1428	0.21		
			1429	0.08		
			1430	0.26		
			1432	0.48		
			1435	0.17		
			1437	0.21		
			1438	0.08		
			1441	0.21		
			1442	0.18		
			1444/1	0.09		
			1444/2	0.03		
			1448	0.06		
			1454	0.95		
			1456	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1461	0.06		
			1463	0.25		
			1464	0.13		
			1466	0.08		
			1468	0.05		
			1469	0.11		
			1470	0.18		
			1477	0.10		
			1478	0.24		
			1482	0.06		
			1486	0.15		
			1487	0.05		
			1488	0.05		
			1491	0.09		
			1492	0.23		
			1493	0.07		
			1496	0.14		
			1497	0.09		
			1498	0.07		
			1499	0.11		
			1500	0.11		
			1501	0.03		
			1502	0.03		
			1503	0.08		
			1504	0.07		
			1505	0.08		
			1506	0.05		
			1508	0.04		
			1509	0.07		
			1510	0.08		
			1512	0.04		
			1515/1	0.15		
			1515/2	0.03		
			1516	0.38		
			1518	0.31		
			1520	0.32		
			1521	0.18		
			1524	0.17		
			1530	0.62		
			1532	1.57		
			1536	0.06		
			1538	0.17		
			1573	1.52		
			1606	0.23		
			1609/1	0.14		
			1609/3	0.14		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1610	0.04		
			1614	0.15		
			1616	0.47		
			1617	0.57		
			1623	0.11		
			1625	0.66		
			1626	0.46		
			1627	0.46		
			1630/2	0.30		
			1632	0.36		
			1633	0.09		
			1635	0.10		
			1636	0.11		
			1638	1.15		
			1639	2.02		
			1640	2.25		
			1643/1	2.72		
			1644	1.71		
			1645	0.03		
			1646/1	0.32		
			1647	0.92		
			1648	0.17		
			1649	0.30		
			1650	0.16		
			1652/1	0.15		
			1653	0.23		
			1656	0.27		
			1657	0.41		
			1658	0.32		
			1660	0.17		
			1661	0.13		
			1662	0.73		
			1670	0.13		
			1673	0.35		
			1674	0.51		
			1676	0.35		
			1677	0.40		
			1678	0.12		
			1680	0.05		
			1684/1	0.40		
			1684/4	0.26		
			1684/5	0.21		
			1686	6.98		
			1687	0.35		
			1688	0.05		
			1691	0.31		
			1692	0.33		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1697	0.09		
			1699	0.24		
			1701	0.23		
			1704	0.32		
			1712	0.84		
			1713	0.77		
			1716	0.09		
			1717	0.03		
			1725	0.24		
			1727	0.47		
			1728	0.17		
			1729/1	0.14		
			1730/1	0.32		
			1730/2	0.13		
			1730/4	0.12		
			1736	0.29		
			1740	0.17		
			1741	0.14		
			1744	0.12		
			1752	0.10		
			1776	0.21		
			1778	0.17		
			1782	0.21		
			1783/2	0.18		
			1784	0.26		
			1788/1	0.34		
			1788/2	0.10		
			1789/1	0.28		
			1797	0.08		
			1798	0.04		
			1799	0.13		
			1802	0.30		
			1804	0.13		
			1805	0.17		
			1806	0.18		
			1807	0.29		
			1808/1	0.21		
			1808/2	0.32		
			1809	0.54		
			1810	0.48		
			1817	0.15		
			1822	0.32		
			1823	0.24		
			1827	0.72		
			1830/2	0.20		
			1831	0.35		
			1849	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1870	0.13		
			1875	0.23		
			1877	0.18		
			1880	0.35		
			1883	0.23		
			1886	0.23		
			1888	0.13		
			1889	0.22		
			1890	3.53		
			1896	0.22		
			1898	0.24		
			1900	0.30		
			1901	0.11		
			1904	0.65		
			1907	0.10		
			1908	0.11		
			1909	0.25		
			1910	0.41		
			1921	0.23		
			1926	0.60		
			1928	0.27		
			1931	0.12		
			1932	0.10		
			1933	0.10		
			1934	0.10		
			1935	0.19		
			1937	0.24		
			1941	0.40		
			1945	0.27		
			1947	0.19		
			1956/1	0.27		
			1956/3	0.18		
			1956/4	0.27		
			1956/5	0.17		
			1958	0.16		
			1964	0.23		
			1969	0.44		
			1970	0.10		
			1979	0.15		
			1982	0.17		
			1991	0.22		
			1997/1	0.75		
			1998/2	0.20		
			2002	0.16		
			2003	0.25		
			2007	0.18		
			2013	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2016	0.27		
			2019	0.23		
			2023/2	0.68		
			2025/1	0.15		
			2030	0.16		
			2032	0.04		
			2035	0.11		
			2038	1.29		
			2041	0.17		
			2046	0.21		
			2054	0.11		
			2064	0.04		
			2068/2	0.17		
			2070	0.12		
			2073	0.19		
			2076	0.20		
			2077	0.19		
			2078	0.09		
			2080/1	0.11		
			2080/2	0.06		
			2080/3	0.05		
			2081	0.04		
			2084	0.51		
			2085	0.07		
			2086	0.26		
			2087	0.21		
			2092	0.27		
			2093	0.09		
			2094/1	0.10		
			2094/2	0.04		
			2098	0.11		
			2101	0.03		
			2103	0.04		
			2105	0.59		
			2109	0.26		
			2110	0.14		
			2111	0.11		
			2120	0.10		
			2123	0.24		
			2125	0.25		
			2130	0.12		
			2132	0.14		
			2135	0.03		
			2137	0.72		
			2138	0.02		
			2139	0.69		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2140	1.25		
			2142	0.13		
			2145	0.12		
			2146	0.44		
			2148	0.07		
			2154	0.05		
			2155	0.01		
			2158	0.44		
			2161	0.13		
			2179	0.37		
			2180	0.09		
			2185	0.12		
			2186	0.24		
			2192/1	1.04		
			2192/2	1.42		
			2193	0.53		
			2196	0.74		
			2197	0.61		
			2198	0.35		
			2199/1	1.18		
			2199/2	0.12		
			2201	0.16		
			2207	0.29		
			2212/2	0.26		
			2212/3	0.27		
			2221	0.47		
			2222	0.15		
			2223	0.55		
			2226	0.23		
			2229	0.10		
			2230	0.27		
			2233	0.70		
			2234	0.06		
			2235/2	0.51		
			2237	0.40		
			2238	0.09		
			2239	0.10		
			2243	0.45		
			2245/1	0.13		
			2246	0.07		
			2247	0.07		
			2249	0.11		
			2250	0.11		
			2251	0.21		
			2252/1	0.24		
			2255	0.22		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2256	0.20		
			2257	0.12		
			2259	0.12		
			2260	0.11		
			2262	0.22		
			2263	0.21		
			2265	0.45		
			2267	0.04		
			2273	0.25		
			2274	0.21		
			2275	0.23		
			2277	0.24		
			2278	0.26		
			2279	0.04		
			2280/1	0.68		
			2280/2	0.61		
			2283	0.06		
			2284	0.07		
			2285	0.29		
			2286	0.06		
			2287	0.29		
			2288	0.24		
			2289	0.10		
			2290	0.10		
			2291	0.20		
			2292/1	1.01		
			2292/2	1.26		
			2292/3	1.70		
			2292/4	0.20		
			2292/5	0.20		
			2295	0.03		
			2296	0.08		
			2299	0.09		
			2300	0.17		
			2301	0.12		
			2302	0.06		
			2308	0.29		
			2461	0.15		
			2462	0.08		
			2464	0.46		
			2465	0.34		
			2466	0.81		
			2467	0.41		
			2469	0.13		
			2477	0.20		
			2479	0.44		
			2480	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2481	0.17		
			2482	0.14		
			2483	0.16		
			2486	0.02		
			2487	0.02		
			2500	0.05		
			2501	0.10		
			2502	1.26		
			2503	0.16		
			2505	0.21		
			2506	0.55		
			2557	0.11		
			2558	0.21		
			2561	0.10		
			2562	0.27		
			2569	0.21		
			2570	0.16		
			2571	0.12		
			2573	0.11		
			2574	0.34		
			2575	0.10		
			2576	0.07		
			2577	0.11		
			2579	0.41		
			2580	1.01		
			2584	0.10		
			2585	0.13		
			2587	0.23		
			2589	0.19		
			2591	0.08		
			2592	0.09		
			2593	0.19		
			2594	0.14		
			2595	0.13		
			2602	0.73		
			2621	0.08		
			2623	0.05		
			2622	0.05		
			2624	0.05		
			2690	0.02		
			2692	0.22		
			2700	0.30		
			2702	0.11		
			2703	0.03		
			2704	0.08		
			2708	0.15		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2720	0.09		
			2721	0.18		
			2762	0.12		
			2765	0.08		
			2768	0.61		
			2771	0.31		
			2773	0.40		
			2774	0.17		
			2775	0.10		
			2787	0.06		
			2796	0.10		
			2799	0.08		
			2800	0.07		
			2808	0.12		
			2810	0.13		
			2818	0.06		
			2821	0.15		
			2826	0.33		
			2828	0.82		
			2834	0.58		
			2835	0.28		
			2836	0.22		
			2837	0.10		
			2838/1	0.01		
			2839	0.10		
			2840	0.10		
			2842	0.24		
			2852	0.19		
			2857/1	0.17		
			2858	0.67		
			2860	0.29		
			2861	0.33		
			2865	0.39		
			2866	0.43		
			2869	0.18		
			2876	0.65		
			2886	0.81		
			2891	1.84		
			2895	0.20		
			2896	1.61		
			2897	1.31		
			2898	0.95		
			2899	1.89		
			2900	3.00		
			2902	3.00		
			2903	3.00		
			2904	2.23		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2906	0.45		
			2907/1	0.36		
			2912	0.26		
			2913	0.26		
			2926/1	0.01		
			2928	0.13		
			2929/1	1.34		
			2930	0.06		
			2931	0.05		
			2932	0.25		
			2934	0.15		
			2935	0.27		
			2936	0.71		
			2937	0.36		
			2938	0.33		
			2939	0.32		
			2940	0.20		
			2941	0.32		
			2942	0.19		
			2943	0.30		
			2944	0.14		
			2945	0.66		
			2946	0.08		
			2947	1.03		
			2948	0.24		
			2949	0.42		
			2950	0.75		
			2951	0.22		
			2952	0.43		
			2953	0.46		
			2954	1.95		
			2955	0.30		
			2956	0.25		
			2957	0.20		
			2958	0.29		
			2959	0.05		
			2960	0.94		
			2961	0.49		
			2963	0.44		
			2964	0.06		
			2965	0.82		
			2966	0.06		
			2967	0.59		
			2968	0.94		
			2969	0.27		
			2971	0.82		
			2975	0.18		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			2976	0.14		
			2977	0.16		
			2979	0.20		
			2980	0.18		
			2981	0.20		
			2983	0.88		
			2984	0.10		
			2985	0.55		
			2986	0.38		
			2987	0.65		
			2989	0.42		
			2991/1	0.45		
			2992	0.20		
			2994	0.85		
			2995	0.18		
			2996	0.42		
			2999	0.55		
			3001	0.20		
			3002	0.09		
			3003	0.10		
			3004	0.10		
			3005	0.14		
			3007	0.12		
			3022	0.01		
			3029	0.85		
			3030	1.20		
			3031	0.50		
			3032	0.55		
			3034	0.29		
			3036	0.07		
			3037	0.07		
			3039	1.12		
			3040	0.36		
			3041	0.72		
			3042	2.63		
			3043	0.69		
			3044	0.31		
			3045	0.06		
			3047	0.39		
			3049	0.22		
			3053/1	0.32		
			3053/2	0.08		
			3054	0.30		
			3056	0.13		
			3059	0.20		
			3061	0.15		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			3072	0.25		
			3075	0.22		
			3079	0.10		
			3080	0.09		
			3084	0.26		
			3089	0.17		
			3103/1	0.36		
			3118	0.09		
			3136	0.48		
			3138	0.35		
			3139	0.27		
			3141	0.30		
			3142	0.24		
			3143	0.36		
			3150	0.10		
			3153	0.60		
			3154	0.22		
			3159	0.04		
			3160	0.04		
			3161	0.04		
			3162	0.14		
			3163	0.03		
			3165	0.03		
			3166	0.02		
			3167	0.02		
			3168	0.01		
			3169	0.03		
			3171	0.02		
			3172	0.03		
			3173	0.13		
			3174	0.16		
			3175	0.11		
			3176	0.10		
			3177	0.11		
			3178	0.08		
			3179	0.07		
			3180	0.10		
			3184	0.05		
			3185	0.05		
			3186	0.06		
			3187	0.27		
			3189	0.23		
			3190	0.35		
			3191	0.06		
			3193	0.13		
			3194	0.15		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			3195	0.25		
			3196	0.09		
			3197	0.19		
			3198	0.21		
			3199	0.44		
			3200	0.20		
			3201	0.46		
			3202	0.29		
			3203	0.44		
			3204	0.46		
			3206	0.13		
			3207	0.57		
			3210	0.54		
			3211	0.10		
			3212	0.16		
			3213	0.31		
			3215	0.72		
			3216	1.07		
			3217	0.40		
			3218	0.28		
			3219	1.02		
			3220	0.41		
			3221	0.42		
			3222	0.51		
			3223	0.45		
			3224	0.91		
			3225	0.89		
			3226	2.02		
			3227	1.06		
			3228	0.42		
			3229	0.63		
			3230	0.16		
			3231	0.25		
			3232	0.69		
			3233	0.26		
			3234	0.16		
			3235	0.21		
			3236	0.17		
			3237	0.01		
			3238	0.24		
			3239	0.22		
			3240	0.56		
			3241	0.56		
			3242	0.58		
			3243	1.81		
			3245	0.50		
			3248	0.35		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			3255	0.47		
			3256	0.06		
			3257	0.11		
			442/3262	0.08		
			208/3263	0.01		
			2899/3278	0.20		
			2467/3281	0.58		
			2966/3283	0.10		
			3228/3284	0.07		
			423/3289	0.03		
			1704/3290	0.28		
			1781/3295	0.06		
			1478/3296	0.38		
		योग	914	279.47		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक/अ.भू.-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	अकोली प.ह.नं. 03	22.20	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जलाशय हेतु डुबान क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प. ह. नं. 15	20.471	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	डूबान क्षेत्र पूरक भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता ह.

रायगढ़, दिनांक 27 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरलिया प. ह. नं. 15	7.837	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	डूबान क्षेत्र पूरक भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कायालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमनारा प. ह. नं. 11	0.750	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	छुहीपाली प. ह. नं. 11	0.379	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	झारमुड़ा प. ह. नं. 30	42.371	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग, रायगढ़.	अटल विहार योजना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जकेला प. ह. नं. 30	40.933	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग, रायगढ़.	अटल विहार योजना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	औरदा प. ह. नं. 30	8.035	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग, रायगढ़.	अटल विहार योजना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोड़ातराई प. ह. नं. 24	18.189	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग, रायगढ़.	अटल विहार योजना हेतु भू-अजंन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्रमांक/1811/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 7 अ./82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-फरफौद, प.ह.नं. 26/55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	900	0.03
	905	0.09
योग	2	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- फरफौद, गुखेरा के सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-लोहर्सी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
531/1	0.10
531/2	0.44
536/1	0.19
536/2	0.19
537/1	0.04
538/1	0.21
538/2	0.10
541	0.04
542	0.20
564/1	0.53
566	0.49
567/1	0.30
568	0.03
569/1	0.20
569/2	0.11
570/1	0.03

	(1)	(2)
	570/2	0.10
योग	17	3.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक 15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-सीस, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.59 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	148/2	0.63
	144/1	0.39
	144/3	0.50
	144/4	0.36
	191/2	0.24
	144/5	0.42
	158/13	0.33
	158/14	0.28
	156/4	0.35
	158/6	0.05
	158/7	0.33
	158/8	0.30
	158/9	0.24
	157/1	0.60
	158/2	0.09
	158/3	0.40
	192/3	0.25
	192/2	0.24
	192/1	0.18
	190	0.28
	121/1	0.21
	128/1	0.20
	128/3	0.12
	122	0.0[illegible]
	105/6	0.8
	102/1	0.14
	105/2	0.61
	103/2	0.49
	105/4	0.44
	103/3	0.63
	119/2	0.03
	107/1	0.13
	105/3	0.40
	106	0.31
	105/1	1.27
	581	0.70
	582	0.20
	583/1	0.17
	585/1	0.11
	588	0.17
	189	0.25
	185	0.53
	202	0.15
	591/2, 598/1, 598/2	0.37
	585/2	0.12
	586	0.10
	591/1	0.21
	600	0.15
	599	0.08
योग	49	15.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा जलाशय योजना के बांध निर्माण, स्पील चैनल एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक 318.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.387 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	327/1, 327/4	0.040
	88	0.032
	92/2	0.121
	89	0.081
	328	0.113
योग	5	0.387

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक 319.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नगझर, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	726	0.101
	1000/3	0.036
योग	2	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, मुख्यालय जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक 320.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-आमनदुला, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.276 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	458/1	0.065
	686/3	0.073
	686/6	0.049
	664/3	0.077
	665/2	0.012
योग	5	0.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, मुख्यालय जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक 27 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूभाठा, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1095/2	0.07
	1139/1	0.10
	1139/3	0.10
योग	3	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ पाईप लाईन निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 32.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बिलारी, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.685 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
935/24	0.061
935/17	0.036
935/7	0.045
935/6	0.077
940/11	0.061
940/19	0.097
940/1	0.049

	(1)	(2)
	948/4	0.105
	946/1	0.053
	948/1	0.061
	948/17	0.040
योग	11	0.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बुन्देला माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रैरूमाखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	477/8	0.140
	477/5	0.265
योग	2	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रैरूमाखुर्द-भालूपखना मार्ग पर निर्माणाधीन मांड नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.594 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86/11	0.041
86/12	0.270
92/1	0.032
92/2	0.032
92/3	0.032
243/1	0.166
92/5	0.052
92/13	0.009
92/7	0.020
92/8	0.016

(1)	(2)
244/6	0.025
363/2	0.231
366/2	0.081
244/4	0.075
274/10	0.189
264	0.048
320	0.050
257	0.312
364/2	0.020
363/1	0.222
99/1	0.133
366/1	0.064
350	0.163
239/11	0.186
266	0.049
274/5	0.012
266/3	0.032
267/2ख	0.146
योग 28	2.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कलमी मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्रमांक 354/अवलि/2012.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के नियम-8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-3-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ठाकुर राम सिंह, कलेक्टर, बिलासपुर वर्ष 2012 हेतु बिलासपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता है.

अनुक्रमांक (1)	पर्व/त्यौहार का नाम (2)	तिथि/माह (3)	दिन (4)
1.	हरेली	19 जुलाई 2012	गुरुवार
2.	सर्व पितृमोक्ष (अमावस्या)	15 अक्टूबर 2012	सोमवार
3.	दशहरा (महाअष्टमी)	22 अक्टूबर 2012	सोमवार

राम सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-मुंगेली (छत्तीसगढ़)

मुंगेली, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक 142/अवलि/2012.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के नियम-8 एवं छत्तीसगढ़ शासन **सामान्य प्रशासन** विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-3-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, टी.सी. **महावर**, कलेक्टर, मुंगेली वर्ष 2012 हेतु मुंगेली जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

अनुक्रमांक (1)	पर्व/त्यौहार का नाम (2)	तिथि/माह (3)	दिन (4)
1.	हरेली	19 जुलाई 2012	गुरुवार
2.	सर्व पितृमोक्ष (अमावस्या)	15 अक्टूबर 2012	सोमवार
3.	दशहरा (महाअष्टमी)	22 अक्टूबर 2012	सोमवार

टी. सी. महावर,
कलेक्टर.

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2012

नगर विकास स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 593/रा.शा/विप्रा/2011.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र रायपुरा के लिए नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

1. रायपुर विकास प्राधिकरण, बजरंग होटल के पास, शास्त्री चौक, रायपुर
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् "यदि ऐसी वांछा करे" नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 593/रा.शा/विप्रा/2011.—Notice is hereby given that a Draft of Town Development Scheme has been prepared for the area "Specialized Commercial Zone, Raipura" under sub-section (3) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during officer hours in the office of :—

1. Raipur Development Authority, Near Bajarang Hotel, Shastri Chowk, Raipur
2. Joint Director, Town and Country Planning, Raipur

Any objection or suggestion which may be received in writing from any person affected thereby within 30 days of the publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" will be considered by the Town and Country Development Authority after having been Given him as reporting of being heard in person if he so desires.

सुनील सोनी,
अध्यक्ष.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर छ.ग.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक 291/नग्रानि/एल.यू. 07/2011.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, छ.ग. रायपुर द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बलौदा बाजार निवेश क्षेत्र की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का सम्यक् रूप से अंगीकरण किया जाता है. इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत किये गये हैं.

अनुसूची

बलौदा बाजार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम लटुवा, सुकुलाभाठा, सोनपुरी, भरसेली रैयत की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम भरसेली रैयत, छुईहा रैयत तथा परसाभदेर की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम परसाभदेर, (कुकरडी) कोकड़ी तथा पहंदा की दक्षिण सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम पहंदा, बलौदा बाजार, खैरघटा, परसाभदेर (चरौटी) तथा लटुवा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

No.291/L.U. 07/2011.—Notice is hereby given under subsection (3) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) for public information that existing land use maps and registers for Baloda Bazaar Planning Area fully accepted. The list of this notice is sending for publishing "Chhattisgarh Gazette" under subsection (4) of section 15 of the above Adhiniyam. Which will be certainity for that the maps and register are prepared and accepted.

SCHEDULE

constituted limits of the Planning Area Baloda Bazaar

NORTH :	Village Latuwa, Shuklabhatta, Sonpuri and upto the Northern limits of Village Bharselli Raiyat.
WEST :	Village Bharselli Raiyat, Chhuhiya Raiyat and upto to the Western limits of Village Parsabhader.
SOUTH :	Village Parsabhader (Kukurdih), Kokdi and upto to the Southern limits of village Pahanda.
EAST :	Village Pahanda, Baloda Bazaar, Khairghata, Parsabhader (Charoti) and upto to the Western limits of Village Latuwa.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील खरसिया, जिला रायगढ़

खरसिया, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 2208A/प्र.क्र. 14/अ 82/2010-2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) खरसिया को अधिसूचना क्रमांक 433 दिनांक 01-10-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पावर प्लांट हेतु 250 एम.एम. पानी के पाईपलाईन परियोजना के लिए माण्ड नदी ग्राम दर्रामुड़ा, तहसील खरसिया जिला रायगढ़ छ.ग. से पानी परिवहन द्वारा ग्राम दर्रामुड़ा तहसील खरसिया जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स एस. के. एस. पावर जनरेशन (छ.ग.) लिमि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-10-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
रायगढ़	खरसिया	दर्रामुड़ा/प.ह.नं. 14	198/628	0.04
			199	0.03
			200/5 क	0.03
			200/6	0.03
		योग	**4**	**0.13**

खरसिया, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 2208B/प्र.क्र. 14/अ 82/2010-2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) खरसिया को अधिसूचना क्रमांक 433 दिनांक 01-10-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पावर प्लांट हेतु 1200 एम.एम. पानी के पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम साराडीह तहसील डभरा जिला जांजगीर (चांपा) से परिवहन द्वारा ग्राम दर्रामुड़ा तहसील खरसिया जिला रायगढ़ तक मेसर्स एस. के. एस. पावर जनरेशन (छ.ग.) लिमि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14-10-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	खरसिया	दर्रामुड़ा/प.ह.नं. 14	198/628	0.08
			199	0.04
			200/5 क	0.05
			200/6	0.05
		योग	4	0.22

ओ. पी. वर्मा,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 5th January 2012

No. 07/Confdl./2012/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K.13016/1/2011-US.II dated 23rd December, 2011 of Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Nawal Kishore Agarwal, Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of January 04, 2012.

Bilaspur, the 12th January 2012

No. 318/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred by under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, Judicial Magistrate First Class.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
2.	Shri Amit Rathore, Judicial Magistrate First Class.	Rajnandgaon	Rajnandgaon

Bilaspur, the 13th January 2012

No. 15/Confdl./2012/II-2-1/2012.—Shri Balram Prasad Verma, II Additional District & Sessions Judge, Raipur is posted as I Additional District & Sessions Judge, Raipur from the date he assumes charge of his office.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक 09/दो-2-21/2006.—श्री दीपक कुमार तिवारी, अतिरिक्त निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-12-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक 10/दो-2-11/2004.—श्री इन्दर सिंह उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-12-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक 11/दो-2-20/2005.—श्री एम. पी. सिंघल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक 12/दो-2-15/2007.—श्रीमति विमला सिंह कपूर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक 13/दो-2-4/2003.—श्री दिनेश कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक 14/दो-3-18/2007.—श्री डाक्टर लाल कटकवार, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 22-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक 15/दो-3-19/2000.—श्री संदीप बख्शी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक 16/दो-2-3/2000.—श्रीमति अनुराधा खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.